राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
NATIONAL BOOK TRUST, INDIA
Ministry of Human Resource Development, Govt. of India
nbt.india
एकः सूते सकलम्

23 मार्च, 2017
नई दिल्ली

प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत द्वारा आर टी आई आवेदन अब ऑनलाइन भी स्वीकार्य

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत {एन.बी.टी.}, अब सरलता पूर्वक आर टी आई ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने हेतु राष्ट्रीय पोर्टल https://rtionline.gov.in के साथ जुड़ गया है ।

दिनांक 22 मार्च, 2017 को राष्ट्रीय पुस्तक न्यास मुख्यालय, वसंत कुंज, नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें न्यासकर्मियों को ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल से परिचित करवाया गया । इस अवसर पर एनबीटी के अध्यक्ष, श्री बल्देव भाई शर्मा ने कहा कि भारतीय नागरिकों के हित के लिए तथा सार्वजनिक शिकायतों के निवारण हेतु भारत सरकार द्वारा 'सूचना का अधिकार' {आरटीआई} सुविधा उपलब्ध है । श्री बल्देव भाई शर्मा ने आशा जताई कि यह ऑनलाइन पोर्टल की मदद से एनबीटी उन आवेदकों को जानकारी प्रदान करने में सहायता करेगा जो न्यास की गतिविधियों से संबंधित जानकारियों को प्राप्त करने के इच्छुक हैं ।

इस अवसर पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, आरटीआई मॉनिटरिंग यूनिट के श्री आशीष अग्निहोत्री द्वारा आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर आधारित एक प्रस्तुति दी गई । उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भारत में डिजिटलीकरण के उपक्रमण को ध्यान में रखते हुए आरटीआई सुविधा को ऑनलाइन बनाया गया है तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों को इस ऑनलाइन पोर्टल के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा है ।

श्री अग्निहोत्री ने बताया कि इस यूज़र फ्रेंडली पोर्टल के माध्यम से आवेदकों और सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए भी आरटीआई आवेदन करने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी । उन्होंने आरटीआई फाइल करने की पारंपरिक विधि की कमियाँ भी बताईं जो कि बहुत समय लेने वाली एवं जटिल हैं ।

उन्होंने बताया कि इस पर्यावरण के अनुकूल पोर्टल के अनेक फायदे हैं जिनमें आरटीआई फीस का ऑनलाइन भुगतान, सरल रिकॉर्ड रखरखाव, प्रभावी नियंत्रण व प्रबंधन आदि शामिल हैं ।

आरटीआई पोर्टल के बारे में

कोई भी भारतीय नागरिक पेमेंट गेटवे सहित आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील फाइल करने हेतु राष्ट्रीय पोर्टल https://rtionline.gov.in के माध्यम से आवेदन कर एनबीटी की कार्य पद्धति एवं गतिविधियों से संबंधित वांछित जानकारी प्राप्त कर सकता है । भुगतान इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके सहायक बैंकों, मास्टर कार्ड/वीज़ा व रुपे के डेबिट/क्रेडिट कार्ड्स के द्वारा किया जा सकता है ।